न्यायालय तहसीलदार राजाखेड़ा (धौलपुर)

प्रकरण 35/18

निर्णय दिनांक 25.1.18

रिपोर्ट पटवारी हल्का अंगाई द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनाक* 8-1-18 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित /अनुपस्थित रहा संक्षिप्त में विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का अंगाई द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल [illegible] पुत्र [illegible] कौम [illegible] निवासी अंगाई तहसील राजाखेड़ा ने आराजी ख0न0 60/526 किस्म [illegible] रकवा 3.0 बाके ग्राम अंगाई पर [illegible] की अतिक्रमण कर लिया है प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया । गैर सायल उपस्थित/ अनुपस्थित रहा। कोई सबूत व साक्ष्य पेश नही किया गया । तत्पश्चात रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिचार सिद्व होता है।

अतः राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 2.40 की 50 गुनी से शास्ति राशि 120/- रूपये आरोपित की जाती है। भू0अभिलेख निरीक्षक / पटवारी हल्का को लिखा जावे। टी0आर0ए0 को नाग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

तहसीलदार
राजाखेड़ा

(मुहर: तहसीलदार राजाखेड़ा)